न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, देहरादून

प्रकीर्ण वाद संख्या– 1043/2026

प्रार्थिनी – हीरा रावत

मु0अ0सं0 31/2026
अंतर्गत धारा– 305ए, 317(2) बी0एन0एस0
थाना–बसन्त विहार, देहरादून।

आदेश

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता–श्री रजनीश कुमार गुप्ता

दिनांक– 24–03–2026

प्रार्थिनी श्रीमती हीरा रावत द्वारा मु0अ0सं0 31/2026, अन्तर्गत धारा– अंतर्गत धारा– 305ए, 317(2) बी0एन0एस0 में बरामद समान एवं धनराशि को अपनी सुपुर्दगी में लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पर थाना बसन्त विहार से आख्या तलब की गई जो कि अभिलेख पर संलग्न है। थाने की आख्या के अनुसार थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 31/2026, अंतर्गत धारा– 305ए, 317(2) बी0एन0एस0 बनाम संगीता देवी से संबंधित माल मुकदमाती एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे सील सर्वे मोहर के अंदर 1 नथ पीली धातु की व 500–500 के कुल 116 नोट कुल धनराशि मु0 58,000/– रूपये थाना होजा के मालगृह में सुरक्षित व मौजूद है।

3– प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थिनी द्वारा सम्बन्धित बरामद सामान को स्वयं का होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट से प्रार्थिनी ही प्रकरण में वादिनी हा. ना विदित है। अभियोजन द्वारा उक्त बरामद माल को थाना हाजा मालखाना में दाखिल होना बताया गया है। प्रार्थिनी ने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की गई है। प्रार्थिनी की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

5– माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **सुन्दरभाई अम्बालाल देसांई बनाम गुजरात राज्य** में पारित दिशा–निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त से बरामद सामान एवं धनराशि को मालखाने में जमा रहने रहने का औचित्य नहीं है।

6– अतः प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण से हस्तगत मामले से सम्बंधित बरामद एक नथ पीली धातु एवं 58,000/– की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रार्थिनी के

पक्ष में अंतरिम रूप से अवमुक्त किये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। तदानुसार उपरोक्त सामान को प्रार्थिनी के पक्ष में अंकन 1,00,000/—(एक लाख रूपये) का एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इसी राशि का एक जमानती तथा इस आशय की एक अण्डरटेकिंग देने पर अन्तरिम रूप से अवमुक्त किया जाता है किः—

(1)— प्रार्थिनी उपरोक्त सामान एक नथ पीली धातु को न्यायालय के आदेश के बिना अन्यथा व्ययन नहीं करेगी

(2)— उपरोक्त सामान के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगी

(3)— जब भी न्यायालय प्रश्नगत सामान एक नथ पीली धातु को न्यायालय में तलब करेगा स्वयं के खर्चे पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।

(4)— उपरोक्त रूपयों के संबंध में भविष्य में विवाद होने पर न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थिनी 58,000/— रूपये न्यायालय में जमा करेगी।

7 थाना प्रभारी बसन्त विहार को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिनी के व्यय पर प्रश्नगत मु0— 58,000/— रूपये के प्रत्येक नोट की दोनों तरफ से फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करवाते हुए पंचनामा तैयार करना सुनिश्चित करें। उक्त फर्द तैयार कराते हुए तथा फर्द नोटों के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रार्थिनी व थाना प्रभारी व दो साक्षियों के हस्ताक्षर करेंगे।

8 उपरोक्त शर्तों का पालन किये जाने के उपरांत प्रश्नगत सामान को, यदि किसी अन्य मामले में वॉछित न हो, नियमानुसार आवश्यक प्रपत्रों की जॉच कर तथा प्रार्थिनी की पहचान सुनिश्चित कर अंतरिम रूप से प्रार्थिनी की सुपुर्दगी में अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(भावना पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,
देहरादून।